RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : तुलनात्मक विश्लेषण

विपिन कुमार मिश्र

शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, श्री गांधी पी0जी0 कालेज मालटारी, आजमगढ़, उ0प्र0–222001,भारत

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
GDP, Insurance Agriculture, Risk Management, Crop Insurance, NAIS, MNAIS, PMFBY.

ABSTRACT

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान 17 से घटकर 16 प्रतिषत हो गया है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, चूँकि कृषि क्षेत्र से होने वाली आय आर्थिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों के भाग्य को निर्धारित करती है जिस पर 43.9 प्रतिषत आबादी अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहती है। इसी संदर्भ में भारत सरकार असमान कीमतों और अनिश्चित पैदावार के जोखिमों से कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष फरवरी, 2016 में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) को प्रारंभ किया।[1] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अग्रणी फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कृषक समुदाय की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके पूर्व में संचालित दो फसल बीमा योजना "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एनएआईएस) और "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एमएनएआईएस) जैसी योजनाओं पर बढत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल खरीफ की फसल को 2 प्रतिशत, रबी की फसल को 1.5 प्रतिशत, एवं बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिषत का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 के अंतरिम बजट से कृषि क्षेत्र को प्राप्त कुल व्यय में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" को 14,000 करोड़ रुपएँ आवंटित किया गया है, अतः यह 154 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है जो पिछले वर्ष 2017-18 बजट से 12,975 करोड रुपएँ आवंटित राशि से अधिक है। इस योजना के परिव्यय में भारी वृद्धि से पता चलता है कि सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सभी किसानों का बीमा कराएं और फसल-उपज हानि की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण के प्रवाह की आश्वासन दे।[2] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी कृषक समुदाय को राज्यवार बीमाकृत की राशि प्रदान की जाएगीं जिससे राज्यवार कृषक समुदाय लाभान्वित होंगे। यह शोध पत्र जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रभावकारिता को देखने की कोशिश करता है।

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पाद और प्राप्त आय प्रायः प्राकृतिक आपदाओं जैसें- सूखा, भारी बारिश, चक्रवात, भूस्खलन व भूकंप, गैर-लाभकारी मूल्य और खराब प्रतिफल के कारण देश के कई हिस्सों में कृषि संकट पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित आपदाएं जैसें- नकली बीजों की बिक्री, उर्वरक व कीटनाशक मूल्य दुर्घटना इत्यादि घटनाएँ उत्पादन और कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। जोखिम कृषि का अंतर्निहित हिस्सा है, यह दोनों हाथों में दोनों साथ ही चलते हैं। कृषि में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए रखते हुए और विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध कृषक समुदाय का बीमा करने के लिए "***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय***" ने वर्ष 1985 में फसल बीमा योजना शुरू की और उसके बाद हितधारकों राज्यों व कृषक समुदाय आदि के अनुभव और विचारों के आधार पर समय–समय पर पूर्वर्ती योजना "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एनएआईएस) और "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एमएनएआईएस) में सुधार लाया जाता रहा हैं। इसके पूर्व की योजनाएँ एनएआईएस (NAIS) और डब्ल्यूबीसी (WBIC) की तरह पहले शुरू की गई कृषि बीमा योजना लघु और सीमांत किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर गहराई से विचार नहीं किया गया चूँकि देश में बढ़ती किसानों की आत्महत्या इस संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। पिछलें तीन वर्षों में किसानों की आत्महत्या बढ गयी हैं। कृषि संबंधी कारणों में 3313 के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्य आगे हैं। इसी संदर्भ में यह योजना सरकार द्वारा लिया गया एक प्रशंसनीय उपाय हैं। यह योजना कृषि के कमजोर हिस्से को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं। यह योजना समावेशी है और निश्चित रूप से हमारे देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सामना करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि देश के किसान सामना कर रहे मानसून की खराब बारिश के कारण फसल नष्ट होने से बचाती है।

साहित्य की समीक्षा:

इस संदर्भ में कई अन्य शोधकार्य भी विगत वर्षों में किये गये है जिनमें से कुछ अध्ययनों का विवरण निम्नलिखित है :

1. **कट्टारकंडी, ब्रीजेष, उत्तम देव और सिंथिया बंतिलन (2014)** अपने शोध लेख में भारत में वर्षा बीमा से संबंधित अध्ययन करते है, शुष्क भूमि खेती से संबंधित जोखिम का अध्ययन किया हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में वर्षा बीमा योजनाएं व इसके परिचालन संबंधित तौर तरीके–पात्रता मानदंड के रूप में, प्रीमियम का भुगतान, लाभ संरचना व भुगतान और तकनीकी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बाधाओं का अध्ययन किया हैं। इन्होंने परिकल्पना की जांच व वर्षा बीमा के कम प्रसार को इसके साथ जोड़ा कि स्थिति जहां संभावित खरीदार संबंधी नहीं थे उनके नियमित प्रदर्शन के लिए उत्पाद, यह अध्ययन रेखांकित करता हैं।

2.लोपमुद्रा और घलीवाल [8] (2014) ने पंजाब राज्य में कार्यात्मक कृषि बीमा योजनाओं की समीक्षा की सूक्ष्मदर्शी और मैक्रोस्कोपिक रूप से देश में, भारत ने 01.09.1972 के बाद फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया है जो समय–समय पर शुरू की गई है, इसके सभी रूपों में विभिन्न दोष है, फिर भी भारत अकेला नहीं है। जहाँ 'सार्वजनिक फसल बीमा योजना' सफल नहीं हुआ।

3.प्रोस्पर वाई, दादसन (2014) में उनके शोध लेख के रूप में फसल बीमा की सम्भावनाएं अलग–अलग फसलों को किसानों के बीच जोखिम प्रबंधन उपकरण घाना में वे इच्छाओं का आकलन करना चाहते थें।

4.डैनियल दानिग, झाग क्रियाओं (2014) ''अन्तर्राष्ट्रीय जनरल ऑफ साइंस एंड ह्यूमेनिटीज'' अपने शोध लेख में, कारक को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण से तंजानिया में सूखा बीमा के लिए किसान व सूखा बीमा क्षेत्र के प्रति किसानों को मूल्यांकन।

5.बोकेलमैन और जेसन स्कॉट एनट्सिंगर (2014) में उनके शोध लेख में किसानों से प्रभावित कारक पर्यावरणीय गिरावट के लिए अनुकूलन रणनीतियों और जलवायु परिवर्तन प्रभाव का एक फार्म स्तर के अध्ययन में बांग्लादेश में उन्होंने उसके अनुकूलन की जाँच की है।

6.बंटीलान (2014) ने बारिश बीमा योजनाओं और इसकी परिचालानात्मक विधियों का अध्ययन किया। जैसे–पात्रता मानदंड, प्रीमियम का भुगतान, लाभ संरचना भुगतान, और तकनीकी बाधायें यह निम्न परिकल्पना की जॉच करता है।

7.क्रियानौश एट और अल [7] (2012) ''इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईरान'' ने एक जोखिम प्रबंधन रणनीति के रूप में फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार किया। ईरान के किसान यह अध्ययन माध्यमिक और प्राथमिक आँकड़ों और सूचनाओं दोनों पर आधारित है। यह एक सर्वेक्षण अनुसंधान था।

अध्ययन की आवष्कता

भारत में कृषि 60 प्रतिषत के साथ मानसून पर निर्भर करती हैं। इस तथ्य को देखते हुए जून–सितंबर की अवधि में 75 प्रतिषत वर्षा होती है, खरीफ फसल दक्षिण–पश्चिम मानसून पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार भारत में किसान समुदाय दया की भावना से बना हुआ हैं। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का स्पष्ट रूप से सामना किया जाता हैं। यह अध्ययन उन सिफारिशों के साथ शुरू हुआ है, जिनके संबंध में ग्रामीण लोगों को शिक्षित किसानों को दिया जाने वाले धोखे से संरक्षित करना हैं। आम किसानों के बीच अविश्वास पैदा करने वाले कंपनियों का विरोध करता हैं। अतः इन योजनाओं का उद्देश्य बेईमान सलाहकारों द्वारा निर्दोष किसानों को दिये जाने वाले धोखे से संरक्षित करना हैं। यह शोध पत्र जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रभावकारिता को देखने की कोशिश करता है। इस शोधपत्र में पिछले वर्ष की फसल बीमा योजनाओं की तुलना में वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है–

1.कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसलों को प्राप्त होने वाले बीमाकृत राषि पर ध्यान आकर्षित करना।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तथा पूर्व में संचालित फसल बीमा योजना तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राज्यवार कृषक समुदाय पर आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को होने वाले लाभ का अध्ययन करना।

NAIS और MNAIS के साथ PMFBY का तुलनात्मक विश्लेषण:

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खाद्य फसलों के लिए बीमाकृत राशि 1.5 से 3.5 प्रतिषत होता है, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी प्रीमियम स्लैब के आधार पर 0 से 75 प्रतिषत प्रीमियम सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।[3] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए किसानों के लिए 2 प्रतिषत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिषत का सामान प्रीमियम निर्धारित किया गया है व वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के संदर्भ में प्रीमियम केवल 5 प्रतिषत होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दर बहुत कम है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुए फसल के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।[3] NAIS व MNAIS बीमा योजनाओं के विषय में कृषि को कोई जागरूकता नहीं प्राप्त थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को सफल बनाने के लिए बैंकों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कई कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। यह योजना सभी 5 सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों सहित 18 सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) अपनी ओर से इस क्षेत्र में आपेक्षित प्रगति का समर्थन करने के लि महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है।[4] यह उम्मीद की जाती है कि किसानों द्वारा फसल बीमा योजना की दिशा में योगदान निश्चित रूप से 20 प्रतिषत के वर्तमान स्तर से बढ़ जाएगा। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बीमा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

तालिका 1-1 comparison of crop insurance schemes in India

Sr. No.	Feature	NAIS(1999)	MNAIS(2010)	PMFBY(2016)
1	Premium rate	Low	High (9-15%)	Low (Govt.to contribute five times that of farmer)
2	One season-one premium	Yes	No	Yes
3	Insurance amount covered	Full	Capped	Full
4	On account payment	No	Yes	Yes
5	Localized risk coverage	No	Hailstorm, landslide	Hailstorm, landslide, inundation
6	Post-harvest losses coverage	No	Coastal areas	All India
7	Prevented sowing coverage	No	Yes	Yes
8	Use of technology	No	Intended	Mandatory
9	Awareness	No	No	Yes (target to double coverage to 50%)
10	Insurance companies	Only government	Govt .and private companies	Govt .and private companies

सोत्रं PIB,Ministry of Agriculture and Farmer, January 2016-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापन योजना है, इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल सभी सेवाओं को सेवा कर की दर से छूट मिलेगी। अनुमान है कि नई योजना से किसानों को बीमा प्रीमियम में करीब 75–80 फीसदी सब्सिडी सुनिश्चित होगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) और किसानों पर फसल बीमा के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है। MNAIS में, प्रीमियम सरकार की सब्सिडी निर्गम को सीमित करने के लिए बीमित राशि के 8 से 12 प्रतिशत पर छाया हुआ था। इस प्रकार, फसलों के लिए जहां बीमांकिक दरें अधिक थीं (यानी, प्रीमियम तेजी से थे) NAIS व MNAIS और PMFBY के बीच उपर्युक्त तालिका में एक तुलनात्मक स्वरूप प्रदर्षित हैं।[5]

तालिकाः 1.2 क्षेत्रफल,उत्पादन और प्रमुख उपज की प्राप्ति

(Million Tonnes)

Crops	Area (Lakh hectare)			Production (Million Tonnes)			Yield (kg/hectare)		
	2015-16	2016-17	2017-18*	2015-16	2016-17	2017-18*	2015-16	2016-17	2017-18*
Rice	434.99	439.93	437.89	104.41	109.70	112.91	2400	2494	2578
Wheat	304.18	307.85	295.76	92.29	98.51	99.70	3034	3200	3371
Nutri /Coarse cereals	243.89	250.08	242.05	38.52	43.77	46.99	1579	1750	1941
Pulses	249.12	294.45	299.93	16.32	23.13	25.23	655	786	841
Foodgrains	1232.18	1292.31	1275.63	251.54	275.11	284.83	2041	2129	2233
Oilseeds	260.87	261.77	246.45	25.25	31.28	31.31	968	1195	1270
Sugarcane	49.27	44.36	47.32	348.45	306.07	376.90	70720	69001	79650
Cotton@	122.92	108.26	124.29	30.01	32.58	34.89	415	512	477
Jute & Mesta #	7.82	7.63	7.35	10.52	10.96	10.14	2421	2585	2481

** 4th advance estimates*

@ production in million bales of 170 kg. each, # production in million bales 180 kg. each.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनाः

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा एवं आर्द्रता आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रत्याशित फसल हानि के कारण वित्तीय नुकसान की संभावना के विपरित बीमित किसानों की कठिनाइयों को कम करना है, चूँकि इससे खेती की अवधि के दौरान खरीफ और रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ता हैं। डब्ल्यूबीसीआईएस फसल के नुकसान के लिए कृषकों को मुआवजा देने में फसल की पैदावार के लिए ''प्रतिनिधि" के रूप में मौसम मापदंडों का उपयोग करता है । खरीफ मौसमों के दौरान टमाटर, आलू, अदरक, मटर, गोभी और फूलगोभी की फसलों को अक्षादित किया जाएगा और संषोधित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दौरान कहा गया है कि रबी मौसम, टमाटर, आलू, लहसुन और शिमला मिर्च की फसलों को संशोधित पुंनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर–आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कवर किया जाएगा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के आधार पर, प्रीमियम की दरों के आधार पर, कार्यान्वित एजेंसियों के आधार पर, जिलावार निविदा बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लिया गया है कि खरीफ और रबी की फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना में राज्यवरो को 51 जिलों में 5 समूहों में विभाजित किया गया है।[6] 2018–19 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आरडब्ल्यूसीआई के तहत राज्यवार बीमाकृत की राशि नीचे दिया गया हैं–

तालिकाः 1.3 पीएमएफबीवाई व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

FY 2018-19 - PMFBY & RWBCIS Combined - State Wise Business Statistics as on 13.07.2020

State/UT Name	Number of Farmers Insured (number in Lakhs)	Area Insured (in Lakh Ha.)	Sum Insured	Farmers Share in Premium	Gross Premium	Reported Claims	Paid Claims	No. of Farmers benefitted (number in Lakhs)
			In Rs. Crore					
A & N Islands	0.007	0.006	2.69	0.013	0.24	-	-	-
Andhra Pradesh	24.462	18.099	11,295.76	261.987	1,093.71	1,853.43	1,847.14	13.440
Assam	0.738	0.491	317.57	2.014	13.37	0.09	0.04	0.001
Bihar	-	-	-	-	-	-	-	-
Chhattisgarh	15.704	22.746	7,869.44	160.879	888.95	1,086.99	1,086.81	6.549
Goa	0.003	0.003	3.25	0.033	0.03	0.10	0.10	0.000
Gujarat	21.710	26.112	13,676.83	402.563	3,141.39	2,778.38	2,777.76	13.847
Haryana	14.437	20.547	13,740.49	253.356	856.03	933.21	928.24	4.196
Himachal Pradesh	2.690	0.900	725.44	29.723	79.43	55.00	55.00	1.272
Jammu & Kashmir	1.537	1.106	941.80	16.909	122.36	26.23	25.58	0.197
Jharkhand	12.936	6.295	3,496.91	20.127	397.42	480.06	21.17	0.580
Karnataka	19.534	22.395	9,702.07	273.004	1,858.84	2,897.47	2,839.86	13.261
Kerala	0.570	0.432	315.97	6.156	35.93	25.66	25.66	0.393
Madhya Pradesh	73.533	130.868	47,979.42	943.696	5,587.32	3,536.37	2,913.17	16.467
Maharashtra	148.073	88.486	30,257.70	789.006	6,110.19	5,953.07	5,943.55	77.153
Manipur	0.015	0.008	5.22	0.104	0.21	0.00	0.00	0.000
Meghalaya	0.009	0.009	4.42	0.103	0.14	0.09	0.09	-
Odisha	20.985	14.854	8,740.84	172.659	1,112.34	1,170.44	1,170.44	6.581
Puducherry	0.101	0.081	46.65	-	2.69	0.45	0.45	0.005
Rajasthan	71.821	79.994	29,249.81	658.023	3,640.36	3,268.35	3,188.96	19.447
Sikkim	0.002	0.001	1.28	0.030	0.03	0.00	0.00	0.000
Tamil Nadu	24.219	14.552	8,907.13	157.109	1,641.28	2,491.01	2,458.72	17.122
Telangana	7.889	8.026	6,064.83	151.181	532.62	519.04	102.24	0.362
Tripura	0.021	0.003	2.16	0.079	0.14	0.02	0.02	0.002
Uttar Pradesh	61.270	51.343	21,887.98	399.870	1,418.86	453.77	449.72	6.088
Uttarakhand	1.928	1.089	866.09	20.993	75.06	72.37	72.36	0.840
West Bengal	51.266	17.763	14,081.37	140.728	732.68	504.14	502.40	7.122
GRAND TOTAL	**575.5**	**526.2**	**230,183**	**4,860**	**29,342**	**28,106**	**26,409**	**204.9**

**Kharif 2018 and Rabi 2018-19 claims are not yet fully reported*

 # Information is based on declarations received from Implementing Insurance Companies and is currently being verified by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India with concerned State Governments

$ Majority of claim settlement is pending due to pending State subsidy and/or pending yield data. Some claims are also pending due to issues such as payment failure, discrepancies in yield data etc.

स्रोत: ***Annual Report -2018-19, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India.***

तालिका 1.3 कृषि क्षेत्र का विकास दर

(Rs. in Crore)

	2014-15	2015-16	Years 2016-17	2017-18@	2018-19**
GVA of Agriculture and Allied Sectors	2093612	2227533	2496358	2670147	2755992
Per cent to total GVA	18.2	17.7	17.9	17.2	16.0

*सोत्र: Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India. **As per the press note on Second Advance Estimates of National Income 2018-19 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the third Quarter (Q3) of 2018-19 released by CSO on 28th February 2019. @ As per the First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and capital Formation for 2017-18 released on 31st January, 2019. released on 31st January, 2019.*

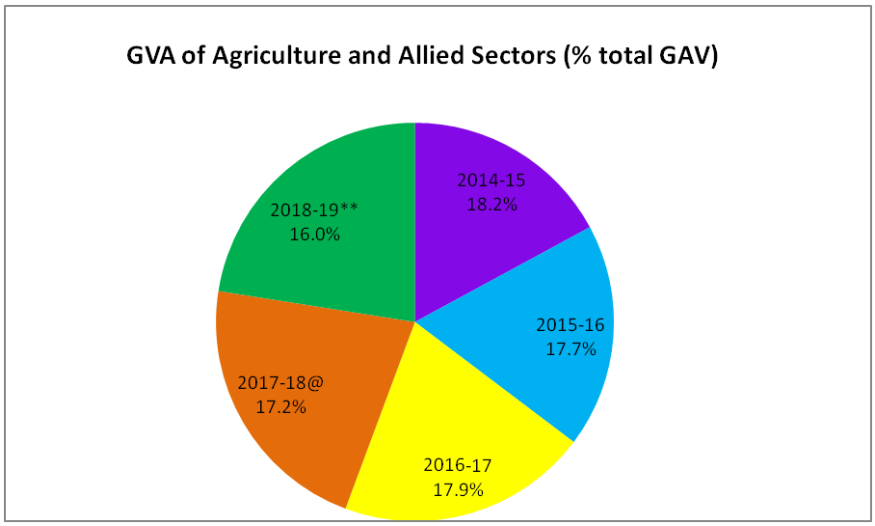

सोत्र: Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India and computed by the Author.

वर्ष 2015-16, 2016—17 व 2017-18 तक कुछ प्रतिषत तक बढा और फिर स्थिर हो गया और 2018-19 में घटकर 16.0 प्रतिषत हो गया । कृषि क्षेत्र में कृषक समुदाय के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत धनराषि आवंटित किया गया। फसल बीमा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल धनराशि प्रतिशत के रूप में अंकित किया गया हैं-

Year	Expenditure(crore)
2013-14	2551.52
2014-15	2598.35
2015-16	2982.47
2016-17	11054.63
2017-18	9419.79
2018-19	11426.00**

RRIJM 2015, All Rights Reserved

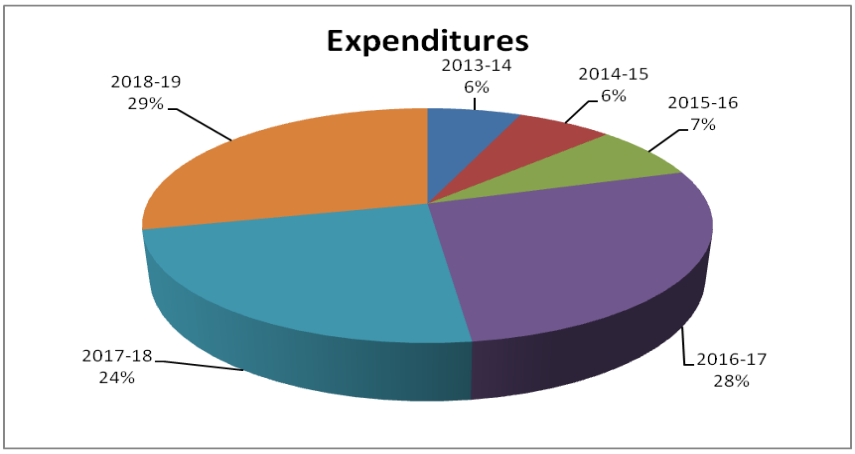

स्रोत: Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India and computed by the Author.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से शुरू हुआ है तब से निर्धारित जोखिम फसलों पर भारत सरकार की व्यय राषि लगातार 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में बढ गयी हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को होने वाले लाभ :

1. कम बीमा शुल्क दरों और कुल आवरण के साथ फसलों का बीमा किसानों को आर्थिक रुप से लाभ होगा।
2. आपदा शब्द का चौड़ीकरण (जैसे बाढ़ का फैलाव और फसल का नुकसान) संरक्षण को बढ़ाएगा और किसानों को इससे लाभ होगा।
3. समयबद्ध नुकसान का भुगतान का देरी से रोक सकेगा।
4. किसानों की आत्महत्याओं को कम करेगा।
5. किसानों की फसल नष्ट होने पर तत्काल भुगतान किया जाएगा।
6. मोबाइल फोन त्वरित जैसी प्रौद्योगिकी का आसान उपयोग होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

जोखिम कृषि का एक अंतर्निहित हिस्सा है। इस लिए जरूरी है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इस संदर्भ में एक अग्रणी फसल बीमा योजना हैं। इन योजनाओं का एक और नुकसान उच्च दावा प्रीमियम अनुपात रहा है । इस सब के बावजूद भारत दुनिया में फसल बीमा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, हालांकि देश में 20 प्रतिशत से भी कम किसानों का बीमा है । फसल बीमा योजनाओं को व्यापक व जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि ऋणों से जोड़ा गया है, लेकिन इससे किसानों पर ऋणों का भार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम के साथ ऋण व ब्याज दर दोनों का भुगतान करना पड़ता हैं। अतः फसल को पारदर्शी तरीके से एक निश्चित अवधि के अंदर और स्वचालित मौसम स्टेशन ड्रोन और उपग्रहों जैसे उच्च तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, फसल क्षति आकलन के एक हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना की सफलता और किसानों को सही उपचार के लिए मृदा की गुणवत्ता के लिए लिटमस परीक्षण होना चाहिए, जिससे कृषि में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. Ministry of Agriculture and farmers Welfare Government India annual report 2018-19. www.wap.co.in
2. Pradhanmantri fasal Bima Yojana: An assessment of India's Crop Insurance Scheme O R F Issues Brief No. 296, May 2019, Observer Research Foundation..
3. 2019, IJRAR March 2019, Volume- 6, issue- 1,- www.ijrar.org (E-ISSN2348 -1269,P-ISSN 2348- 5138)
4. Ministry of Agriculture and farmers welfare, "Budget of Rs 5501.15 crore for implantation of PMFB during 2016-17" ; Press Information Bureau, 18 November 2018, eccessed 10 February 2019.
5. Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India. financialservices.gov.in.
6. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): A Bunch Of Benefit Volume- 04206, Issue-06 june 2019, (ISSN:2455-3085).
7. Kiyanoush Ghalavand, Karim.MH (Karim Koshteh) and Abolhassan Hashemi (2012),"Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran", InternationalJournal of Agriculture and Crop Sciences.Available online at www.ijagcs.com_,IJACS/2012/4-13/831-838, ISSN 2227-670X ©2012 IJACS Journal 3.
8. Lopamudra Mohapatra & R K Dhaliwal (2014), "Review of Agricultural Insurance in Punjab State of India", International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2, Issue 5, 459-467 ISSN 2320-5407.

RRIJM 2015, All Rights Reserved